न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी मसूदा

पीठासीनअधिकारीसुरेश चावला(RAS)

राजस्व वाद संख्या 14 सन् 2015

श्रीमति नाथी धर्मपत्नि श्री सोहनलाल जाति खटीक उम्र 58 वर्ष निवासी खरवा तहसील मसूदा, जिला अजमेर, (राज.)

वादीया

बनाम

1. श्रीमति गोबिन्दी पत्नि श्री श्रीराम,
2. श्री राधेश्याम } पुत्रान श्री श्रीराम जाति ढोली
3. श्री प्रभुलाल } निवासी मसूदा जिला अजमेर
4. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री प्रभूलाल, निवासी मसूदा,जिला अजमेर
5. श्री हीरालाल पुत्र श्री मोतीलाल जाति खटीक निवासी मसूदा जिला अजमेर
6. श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री बंशीलाल जाति ढोली निवासी मसूदा, जिला अजमेर
7. श्री राधाकिशन पुत्र श्री हजारी कौम रेगर निवासी मसूदा जिला अजमेर
8. श्री जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल जाति भांबी निवासी हरराजपुरा जिला अजमेर,
9. श्री बद्रीलाल कटारिया पुत्र श्री राजू जाति भांबी निवासी मसूदा जिला अजमेर
10. श्रीमति मन्जूदेवी पत्नि श्री मनोहरसिंह जाति खटीक निवासी मसूदा जिला अजमेर,
11. श्री भूपेन्द्र }
12. श्री जितेन्द्र } पुत्रान श्री शांतिलाल
13. श्री विशाल }
14. श्रीमति रींकू पुत्री श्री शांतिलाल
15. श्रीमति सुशीला पत्नि श्री शांतिलाल तमाम जाति चन्देल (खटीक) निवासी मसूदा, जिला अजमेर,
16. श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री घीसालाल जाति महाजन, निवासी मसूदा जिला अजमेर
17. श्री शिवराज पुत्र श्री घीसालाल जाति महाजन निवासी मसूदा जिला अजमेर
18. श्री मान तहसीलदार साहब मसूदा (लैण्ड होल्डर)
19. श्री मान उपपंजीयक अधिकारी मसूदा
20. राजस्थान सरकार जरिए जिलाधीश महोदय अजमेर,

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,91,188, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व धारा 136 लैण्ड रवेन्यु एक्ट

आदेश

वकील प्रतिवादी संख्या 6,8 व 9 ने एक प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया है कि बार सदस्य श्री प्रकाश कुमावत अधिवक्ता के पिता का निधन दिंनाक 21.12.2016 को हो जाने से दिंनाक 21 व 22. 12.2016 को उनके सम्मान मे स्थानीय बार द्वारा कार्य स्थगित रखा गया था। अभिभाषक वादीगण आज अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए बहस करना चाहते है जो ऐसी स्थिति मे बहस किया जाना संभव नही था। वैसे भी न्यायालय द्वारा सभी प्रकरणो मे उक्त तिथि को कौमन तिथि 10.03.2016 मुकर्रर कर दी थी। यह वाद प्रतिवादी संख्या 6,16 व 17 जिसकी मृत्यू अर्से दराज पूर्व हो चुकी थी। उसके विरूद्व वाद लाया गया है जो चलने योग्य नही है। जिसकी जानकारी मुझे हाल ही मे हुई है। अतः टी.आई प्रकरण पर प्रार्थी की अनुपस्थिति मे एक तरफा बहस नही सुनी जावे।

प्रा0 पत्र पर वकील अप्रार्थीगण 6,8 व 9 को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो आदेशिका दिंनाक 04.09.2015 के अनुसार ही वादी वकील की जानकारी मे आ चुका था कि प्रतिवादी संख्या 16 व 17 फोत हो चुके है लेकिन उनके द्वारा इसके खण्डन मे न तो कोई आवेदन पेश किया और न ही इनके एल.आर का प्रा.पत्र पेश किया। प्रतिवादी वकील के अनुसार प्रतिवादी संख्या 6 भी अर्से दराज पूर्व फोत हो चुका है। न्याय प्रक्रियानुसार किसी मृतक व्यक्ति के विरूद्व वाद नही लाया जा सकता जबकि यह वाद प्रारंभ से ही मृतक व्यक्तियो के विरूद्व लाया गया है जो चलने योग्य नही पाया जाता है।

अतः वादिया द्वारा ग्राम मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0न0 1121 रक्बा 5–19–00 व 1122 रक्बा 04 बिस्वा व 1123 रक्बा 3–13–00 कुल किता 3 रक्बा 9–16–00 बीघा के विभाजन एंव घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए लाया गया वाद सव्यय निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 23.03.2017 को सरे इजलास न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 16:26:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: